न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2018/00094

1. प्रहलाद आत्मज श्री गोपाल जाति तेली निवासी मालिकपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
2. रामस्वरूप आत्मज श्री छगन लाल जाति तेली निवासी मालिकपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती पुष्पा बाई बेवा अणदीलाल जाति तेली निवासी नोताडा (धरावन) तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
2. बाबूलाल आत्मज अणदीलाल जाति तेली निवासी नोताडा (धरावन) तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
3. सत्यनारायण आत्मज अणदीलाल जाति तेली निवासी नोताडा (धरावन) तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
4. प्रेमशंकर आत्मज अणदी लाल जाति तेली निवासी नोताडा (धरावन) तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
5. श्रीमती मोडी बाई पुत्री अणदीलाल पत्नी हजारी लाल जाति तेली निवासी प्रेमनगर, डीसीएम कोटा तहसील जिला कोटा ।
6. श्रीमती कान्ति बाई पुत्री अणदी लाल पत्नी हरीश चन्द जाति तेली निवासी बंजारा कॉलोनी कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
7. श्रीमती संतोष बाई पुत्री अणदीलाल पत्नी कन्हैया लाल जाति तेली निवासी ग्राम रडी तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
9. उप पंजीयक महोदय इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
10. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये श्रीमान् जिलाधीश महोदय बून्दी ।

----रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 2018/00095

1. प्रहलाद आत्मज श्री गोपाल जाति तेली निवासी मालिकपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी
2. रामस्वरूप आत्मज श्री छगन लाल जाति तेली निवासी मालिकपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती पुष्पा बाई बेवा अणदीलाल जाति तेली निवीस नोताडा (धरावन) तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
2. बाबूलाल आत्मज अणदीलाल जाति तेली निवासी नोताडा (धरावन) तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
3. सत्यनारायण आत्मज अणदीलाल जाति तेली निवासी नोताडा (धरावन) तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
4. प्रेमशंकर आत्मज अणदी लाल जाति तेली निवासी नोताडा (धरावन) तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
5. श्रीमती मोडी बाई पुत्री अणदीलाल पत्नी हजारी लाल जाति तेली निवासी प्रेमनगर, डीसीएम कोटा तहसील जिला कोटा ।
6. श्रीमती कान्ति बाई पुत्री अणदी लाल पत्नी हरीश चन्द जाति तेली निवासी बंजारा कॉलोनी कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
7. श्रीमती संतोष बाई पुत्री अणदीलाल पत्नी कन्हैया लाल जाति तेली निवीस ग्राम रडी तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
9. उप पंजीयक महोदय इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
10. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये श्रीमान् जिलाधीश महोदय बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री जगदीश नन्दवाना, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।
2. श्री सुरेन्द्र वर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 से 4 की ओर से दोनों अपीलों में ।

निर्णय दिनांक 07.04.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.12.2017 प्रकरण संख्या 33/13 एवं 47/12 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. उक्त दोनों अपीलें समान प्रकृति की होने तथा एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में संलग्न की जावे ।

3. अपील संख्या 2018/00094 में प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट कम 2 लगायत 4 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की

धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया । उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र संख्या संख्या 33/प्रा0 पत्र/2013 अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम मालिकपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में खसरा नम्बर 316 की रकबा 4.60 हैक्टर आराजी स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण तथा सहखातेदार लक्ष्मीनारायण के संयुक्त कब्जे काश्त एवं सहखातेदारी की भूमि है । प्रार्थीगण के पिता आणन्दीलाल व अप्रार्थीगण 1 लगायत 2 अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । आणन्दीलाल की मृत्यु होने पर प्रार्थीगण एवं मृतक आणन्दीलाल के अन्य वारिसान वादग्रस्त आराजी पर काबिज होकर सहखातेदार के रूप में काबिज काश्त चले आ रहे हैं । प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्से पर कब्जा काश्त चला आ रहा है । अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का 1/3 हिस्सा है जिस पर वे काबिज काश्त हैं । नामान्तरकरण संख्या 234 के मुताबिक हक त्याग पत्र के आधार पर सहखातेदार मोडी बाई, कान्ति बाई, संतोष बाई पुत्रियॉ आणन्दीलाल व पुष्पा बाई बेवा आणन्दीलाल का हिस्सा प्रार्थीगण के पक्ष में हक त्याग करने के कारण प्रार्थीगण के नाम वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्सा पर दर्ज किया गया । अप्रार्थीगण व उनके वारिसान के मन में बदयान्ति आ गई है और वे वादग्रस्त आराजी से प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा हैं । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है ।

4. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि ताफैसला वाद प्रार्थीगण को उनके हिस्से 1/3 की आराजी पर अप्रार्थीगण जबरन कब्जा नहीं करें और न ही उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

5. अप्रार्थीगण कम 1व 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

6. अपील संख्या 2018/00095 में प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया । उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र संख्या 47/प्रा0 पत्र/2012 अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम मालिकपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में खसरा नम्बर 316 रकबा 4.60 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि पूर्व में प्रार्थी कम 01 के दादा व प्रार्थी कम 02 के पिता श्री छगन लाल आत्मज औंकार के नाम दर्ज थी । छगन लाल जी की मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में आणन्दी लाल के नाम दर्ज कर दी जबकि स्वर्गीय छगन लाल ने अपने जीवनकाल में आणन्दीलाल को अपने छोटे भाई मन्ना लाल को गोद दे दिया था । मन्ना लाल का देहान्त सन् 1996 में हुआ था । मृतक मन्ना लाल के ग्राम नोताडा तहसील इन्द्रगढ में कुल 03 किता की 24 बीघा 06 बिस्वा आराजी स्थित थी । उक्त भूमि मन्ना लाल जी की मृत्यु के बाद नामान्तरकरण संख्या 02 दिनांक 18.07.1998 से अप्रार्थीगण कम 1 लगायत 4 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दी गई । अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि में से कुछ भूमियों का जरिये रजिस्टर्ड बेचान पत्र से हरीशचन्द के पक्ष में कर दिया गया । वादग्रस्त आराजी में राजस्व रिकॉर्ड में अंकित आणन्दी लाल के नाम का गलत इन्द्राज का फायदा उठाकर अप्रार्थी कम 1 लगायत 7

ने उक्त भूमि अपने नाम खाते में दर्ज करवा ली जबकि उनका उक्त भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है । छगनलाल की सम्पत्ति में श्री अणन्दी लाल का कोई हिस्सा नहीं बनता था वरन् आणन्दी लाल मन्ना लाल के गोद पुत्र थे जिसका मन्ना लाल की सम्पत्ति में वारिस की हैसियत से कृषि भूमि में हिस्सा बना है । वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण क्रम 1 लगायत 7 का नामान्तरकरण संख्या 224 दिनांक 12.05.2012 प्रारम्भ से शून्य है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है।

7. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण क्रम 1 लगायत 7 के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि ताफैसला वाद प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी पर उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें अप्रार्थीगण उक्त भूमि को रहन, बेचान एवं अन्तरण नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

8. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 13.12.2017 के द्वारा दोनों प्रार्थना पत्रों को समेकित करते हुए दोनों पक्षों का ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजियात के राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करने तथा उक्त भूमि को रहन, बेचान नहीं करने हेतु जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया ।

9. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.02.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में उक्त दोनों अपीलें प्रस्तुत कर दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.12.2017 निरस्त करने का कथन किया ।

10. दोनों अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

11. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट को सहकृषक मानने में त्रुटि की है जबकि अपीलान्टगण ने प्रथमदृष्टया यह साबित कर दिया था कि आणन्दीलाल, मन्ना लाल का गोदपुत्र है । आणन्दी लाल को मन्ना लाल की ग्राम नोताडा की भूमि दत्तक पुत्र होने के नाते मिल चुकी है इस कारण उन्हें अपने प्राकृतिक पिता की सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं है । नामान्तरकरण में नाम आ जाने से आणन्दीलाल को कोई अधिकार वादग्रस्त आराजी में प्राप्त नहीं है । रेस्पोडेन्ट के द्वारा अपने कब्जे के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है । रेस्पोडेन्ट का न तो कोई प्रथमदृष्टया प्रकरण है और ही सुविधा का संतुलन उनके पक्ष में है । अपीलान्ट ने 1988 एवं 1993 की वोटरलिस्ट की प्रतिया पेश की हैं जिसमें आणन्दी लाल के पिता का नाम मन्ना लाल अंकित है । यदि अपीलान्ट के इस कथन को प्रथमदृष्टया अस्वीकार किया जाता है कि आणन्दीलाल, मन्नालाल का गोदपुत्र है तो ऐसी स्थिति में मन्नालाल की मृत्यु हो जाने पर उसकी समस्त सम्पत्ति उसके समस्त भतीजों को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्राप्त होगी और इस तरह से आणन्दीलाल को जो कुछ आराजी प्राप्त होगी उससे अधिक आराजी का वो विक्रय कर चुके हैं । इस प्रकार प्रथमदृष्टया आणन्दी लाल एवं उसके

वारिसों का वादग्रस्त आराजी में कोई हित–निहित नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.12.2017 निरस्त फरमाया जावे व अपीलान्ट के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे ।

12. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी संयुक्त खाते की है और एक सहखातेदार के पक्ष में दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट को मन्ना लाल का गोदपुत्र बताते हैं परन्तु गोदपुत्र का निर्णय करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है । अपीलान्ट ने गोद को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य भी पेश नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थी और अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी के बाबत् रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखने एवं रहन, बेचान नहीं करने हेतु पाबन्द किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय ने उभय पक्ष को रिकॉर्ड की यथास्थिति एवं वादग्रस्त आराजी को बेचान नहीं करने हेतु जो पाबन्द किया गया है वो उचित है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.12. 2017 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2015 (1) पेज 294, आरएलडब्ल्यू 2008 (2) पेज 1414, आरआरडी 2019 पेज 413, आरएलडब्ल्यू 2002 पेज 185, एआईआर 2010 (एससी) पेज 818, आरएलडब्ल्यू 2003 (1) पेज 27, आरएलडब्ल्यू 2002 पेज 261, आरएलडब्ल्यू 2008 (1) पेज 161 उद्धरत की ।

13. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अपीलान्ट के द्वारा रेस्पोडेन्टगण के खिलाफ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत यह कथन करते हुए पेश किया है कि आणन्दी लाल, मन्ना लाल के गोद गया था । मन्ना लाल के खाते में कुल 03 किता की 24 बीघा 06 बिस्वा आराजी नोताडा तहसील इन्द्रगढ में स्थित है । यह आराजी नामान्तरकरण संख्या 02 दिनांक 18.07.1998 से अप्रार्थीगण के खाते में दर्ज हो चुकी है । आणन्दी लाल को मन्ना लाल का गोदपुत्र माना है इन भूमियों में से कुछ भूमियॉ अप्रार्थीगण ने हरीशचन्द पुत्र कल्याण मल को बेचान की है । छगन लाल की मृत्यु के बाद यह आराजी प्रार्थीगण के खाते में दर्ज होनी चाहिए परन्तु आणन्दीलाल का नाम भी अंकित कर दिया गया है जबकि गोद जाने के कारण उनरको इस आराजी में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी क्रम 01 का 1/2 हिस्सा और प्रार्थी क्रम 02 का 1/2 हिस्सा है । आणन्दीलाल का इस आराजी पर कभी कब्जा नहीं रहा है । अतः उनके पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे ।

14. एक प्रार्थना पत्र अप्रार्थी क्रम 2, 3 व 4 के द्वारा प्रार्थीगण के खिलाफ अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत यह कथन करते हुए पेश किया कि वादग्रस्त आराजी में उनका 1/3 हिस्सा निहित है जिस पर अप्रार्थीगण को दखलन्दाजी करने का कोई अधिकार नहीं है । अतः उनको पाबन्द किया जावे कि वो 1/3 हिस्सा जो कि प्रार्थीगण के हिस्से का है पर उनके कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करें । अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों प्रार्थना पत्रों में अपीलाधीन निर्णय से निर्णय पारित करते हुए उभयपक्षकारान को वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने, रहन, बेचान नहीं करने हेतु जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है ।

15. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर निर्वाचक नामावली की फोटो प्रति संलग्न है जो सन् 1988 एवं 1993 की है जिसमें आणन्दीलाल को मन्ना लाल का पुत्र दर्शाया गया है । इसके अलावा प्रहलाद एवं रामस्वरूप के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 10 दिनांक 09.06.1992 के खिलाफ पेश की गई अपील की फोटो प्रति संलग्न है । अतिरिक्त जिला कलक्टर सीलिंग के निर्णय दिनांक 16.07.1994 की फोटो प्रति भी संलग्न है इस निर्णय में राजस्व वाद लम्बित होने के मध्यनजर अपील खारिज की गई है । एक हक त्याग की फोटो प्रति संलग्न है जो आणन्दीलाल की पुत्रियों ने उनके पुत्रों के पक्ष में निष्पादित की है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2065–68 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी में प्रहलाद का 1/3 हिस्सा, आणन्दीलाल का 1/3 हिस्सा, रामस्वरूप एवं छगन का 137/690 हिस्सा, लक्ष्मीनारायण का 31/230 हिस्सा दर्ज है और इसमें नामान्तरकरण संख्या 190, 224 और 234 का नोट अंकित है । सिंचाई विभाग खतौनी की फोटो प्रति संलग्न है । जल संसाधन विभाग की रसीद की फोटो प्रति संलग्न है । एक वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत नोताडा का भी पेश किया गया है । छगन लाल के खाते की नकल जमाबन्दी की फोटो प्रति संलग्न है । ग्राम नोताडा की नकल जमाबन्दी की फोटो प्रति संलग्न है जिसमें ग्राम नोताडा की आराजी बाबूलाल, सत्यनारायण, प्रेमशंकर आत्मज आणन्दीलाल के खाते में दर्ज है । नामान्तरकरण संख्या 02 की फोटो प्रति संलग्न है जिसके अनुसार मन्ना लाल की मृत्यु हो जाने पर आराजी बाबूलाल, सत्यनारायण एवं प्रेमशंकर पिसरान आणन्दीलाल के खाते में दर्ज हुई । मन्ना लाल वल्द औंकार के खाते की नकल जमाबन्दी की फोटो प्रति पेश संलग्न है जिसके अनुसार कुल 03 किता की 24 बीघा 06 बिस्वा आराजी उनके खाते में दर्ज है । फोटो प्रति नामान्तरकरण संख्या 5 संलग्न है जिसके अनुसार बाबूलाल, सत्यनारायण और प्रेमशंकर ने ग्राम नोताडा की खाते की अपनी आराजी 3.63 हैक्टर में से 2.57 हैक्टर हरीश चन्द को बेचान की है और फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2066–69 के अनुसार बाबूलाल, सत्यनारायण एंव प्रेमशंकर के खाते ग्राम नोताडा में 02 किता की 1.16 हैक्टर आराजी दर्ज है । शोकसभा के पत्र की फोटो प्रति, आणन्दीलाल के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति भी संलग्न की गई हैं । खसरा गिरदावरी संवत् 2070 की फोटो प्रति भी संलग्न की गई है ।

16. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण संख्या 47/प्रा0पत्र/2012 में रेस्पोडेन्ट ने जो जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया है उसका अवलोकन किया गया । जवाब प्रार्थना पत्र की मद संख्या 06 में यह अंकित किया गया है कि आणन्दीलाल छगन लाल का पुत्र था वो मन्ना लाल का पुत्र नहीं था । मन्ना लाल लाऔलाद फौत हुआ है इस कारण अप्रार्थी कम 1 लगायत 4 मन्नालाल के तृतीय श्रेणी के वारिस होने के कारण उनके नाम तस्दीक किया गया है । चरण संख्या 09 में यह भी अंकित किया है कि आणन्दीलाल कभी गोद नहीं गया कोई गोदपत्र निष्पादित नहीं किया गया है और न ही गोद की रस्म अदा की गई है । आणन्दीलाल छगनलाल का ही पुत्र है । इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्टगण ने जो प्रार्थना पत्र अपीलान्ट के खिलाफ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया है उसमें वादग्रस्त आराजी में स्वयं का आणन्दीलाल के वारिस होने के नाते सहखातेदार दर्ज होने का कथन किया है । इस प्रकार रेस्पोडेन्टगण आणन्दीलाल का मन्ना लाल का गोदपुत्र होना अस्वीकार करते हैं । यदि आणन्दीलाल मन्ना लाल का गोद पुत्र नहीं है तो मन्ना लाल के खाते की आराजी मुताबिक फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2041–44 नया खाता संख्या 111 कुल 03 किता की 24 बीघा 06 बिस्वा आराजी है । यह सम्पूर्ण आराजी कानूनन रेस्परोडेन्टगण के खाते में तन्हा रूप से

दर्ज नहीं की जा सकती क्योंकि मन्ना लाल के द्वितीय व तृतीय श्रेणी के उत्तराधिकारी में अपीलान्ट प्रहलाद एवं रामस्वरूप भी आते हैं । ऐसी स्थिति में ग्राम नोताडा की रकबा 24 बीघा 06 बिस्वा और ग्राम मलिकपुरा की 30 बीघा आराजी में रेस्पोडेन्टगण का 1/3 हिस्सा निहित है जो कि 18 बीघा 02 बिस्वा के आस–पास होता है और उनके द्वारा ग्राम नोताडा की कुल 3.63 हैक्टर आराजी में से नामान्तरकरण संख्या 56 के अनुसार 2.57 हैक्टर आराजी का बेचान किया जा चुका है जो 16 बीघा से कुछ अधिक है और ग्राम नोताडा की शेष 1.16 हैक्टर आराजी जो कि 07 बीघा से कुछ अधिक बनती है उनके तन्हा खाते में दर्ज है । इस प्रकार यदि दोनों गॉवों की आराजियात में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार जो उनका हिस्सा बनता है उससे अधिक आराजी उनके द्वारा बेचान की जा चुकी है व उनके खाते दर्ज है । ऐसी स्थिति में ग्राम मलिकपुरा की आराजी में प्रथमदृष्टया उनका कोई हित–निहित होना नहीं पाया जाता है । यद्यपि अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में सन् 1988 एवं 1993 की जो वोटर लिस्ट की प्रतियॉ पेश की गई हैं उनसे प्रथमदृष्टया यह प्रतीत होता है कि आणन्दीलाल मन्ना लाल के गोद गया है । आणन्दी लाल मन्ना लाल के गोद नहीं गया है तो मन्ना लाल के खाते की सम्पूर्ण आराजी रेस्पोडेन्टगण के तन्हा खाते में दर्ज नहीं की जा सकती । जहॉ तक विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के द्वारा उद्वरत नजीर आरएलडब्ल्यू 2008 (1) 161 आरआरडब्ल्यू 2002 (राज0) पेज 261, एआईआर 2010 (एससी) पेज 818 का प्रश्न है इस प्रकरण में वर्तमान समय में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई अपीलों के निस्तारण में प्रासंगिक नहीं है क्योंकि इस न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेन्ट के कथनों पर विचार करते हुए आणन्दीलाल को मन्ना लाल का गोदपुत्र प्रथमदृष्टया नहीं माना है । यद्यपि पक्षकारों के अधिकार एवं स्वत्व मूल दावे में साक्ष्य के उपरान्त तय होंगे । जहॉ तक ग्राम मलिकपुरा में रेस्पोडेन्टगण के सहखातेदार दर्ज होने का प्रश्न है यदि दोनों गॉवों की आराजियात में उभयपक्षकारान को सहखातेदार माना जावे तो रेस्पोडेन्ट ग्राम नोताडा की आराजी में लगभग 16 बीघा का विक्रय कर चुके हैं और शेष 07 बीघा के लगभग उनके तन्हा खाते में दर्ज है । ऐसी स्थिति में ग्राम मलिकपुरा में उनकी स्थिति सहखातेदार की प्रथमदृष्टया नहीं बनती है । मात्र राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने के आधार पर उनको इस गॉव की आराजी में सहखातेदार नहीं माना जा सकता । जहॉ तक विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा उद्वरत नजीर आरएलडब्ल्यू 2003 (1) (राज0) पेज 27 का प्रश्न है, प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों बिन्दुओं पर विचार कर निर्णय पारित किया जा रहा है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर ग्राम मलिकपुरा की आराजी के लिए न तो प्रथमदृष्टया प्रकरण बनता है और न ही सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति रेस्पोडेन्टगण के पक्ष में है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय से दोनों पक्षों को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने में त्रुटि की है ।

17. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 2018/00094 एवं अपील संख्या 2018/00095 स्वीकार की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.12.2017 प्रकरण संख्या 33/13 व 47/12 निरस्त किया जाता है । अपीलान्टगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रकरण संख्या 47/प्रा0पत्र/12 स्वीकार किया जाता है । रेस्पोडेन्टगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ग्राम मलिकपुरा की खाता संख्या 51 की खसरा नम्बर 316 रकबा 4.60 हैक्टर में अपीलान्टगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें । उक्त कृत्य न तो रेस्पोडेन्ट करें और न

ही अपने प्रतिनिधि से करावें । प्रार्थना पत्र बाबूलाल बनाम प्रहलाद प्रकरण संख्या 33/प्रा0पत्र/13 खारिज किया जाता है ।

18. निर्णय आज दिनांक 07.04.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

7/4/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा